



स मा चार

देश भर की विधान सभाओं की लोक लेखा समितियों के सम्मेलन में म. प्र. की दलील -
लोक लेखा समिति की शक्तियों में हो विस्तार

-म. प्र. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम व समिति के अध्यक्ष पी. सी. शर्मा का सुझाव

-कहा सीएजी से अलग बिंदुओं को भी किया जाय शामिल

नई दिल्ली/भोपाल, 5 दिसंबर 2021। लोकलेखा समितियों की शक्ति का दायरा बढ़ाया जाय। भारत की लोक लेखा समिति के दो दिवसीय शताब्दी समारोह में यह दलील है मप्र विधानसभा की। संसद भवन के सेंट्रल हाल नई दिल्ली में लोकसभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर की विधान सभाओं के अध्यक्ष व लोक लेखा समितियों के अध्यक्ष शामिल हुए थे। मप्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की उपस्थिति में लोकलेखा समिति के अध्यक्ष पी.सी. शर्मा ने किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार सदस्य द्वय रामपाल सिंह व राजेन्द्र शुक्ला के साथ प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह भी शामिल हुए।

इस दो दिवसीय आयोजन के पहले दिन म.प्र. ने लोकलेखा समितियों के वर्तमान समय में कार्यप्रणाली और चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि समिति के परीक्षण का क्षेत्राधिकार शासन के विभागों तक सीमित न रखा जाय, बल्कि इसके दायरे में गैर-सरकारी वित्त माध्यमों को भी लाया जाय। महत्वपूर्ण है कि अभी तक यह समिति महालेखाकार द्वारा इन विभागों के अंकेक्षण के आधार पर निर्मित आक्षेपों के संबंध में प्रस्तुत राजस्व प्राप्तियां, सिविल एवं आधिक्य संबंधी प्रतिवेदनों में निहित कंडिकाओं का परीक्षण मात्र करती है। यही कारण है कि यहां लोकलेखा समिति की प्रणालियों को मजबूत करने और सुशासन को बढ़ावा देने को लेकर भी म.प्र. का पक्ष रखा गया। जिसमें सिफारिशों के सख्त अनुपालन के लिए समयसीमा और प्रशासनिक तंत्र की मौजूदा व्यवस्था प्रमुख रही है।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव